प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 70/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का आरंभ' पर अनुशंसाएँ जारी की

नई दिल्ली, 08 अगस्त 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का आरंभ' पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की हैं। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी-2018) डिजिटल बुनियादी फ्रेमवर्क पर जोर देती है, जिसमें कहा गया है कि "डिजिटल बुनियादी ढांचा और सेवाएं देश के विकास और कल्याण के प्रमुख समर्थकों और महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में तेजी से उभर रही हैं"। वैश्विक डेटा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) आवश्यक है। एक प्रबल डीसीआई उत्पादकता बढ़ाकर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली सुविधाएं प्रदान करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। डीसीआई डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और स्मार्ट सिटी के विकास के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाता है। डीसीआई के विकास चालकों में 5G का व्यावसायीकरण, इंटरनेट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग, आईओटी (IoT) सेंसर और उपकरणों के साथ-साथ निजी एलटीई (LTE) नेटवर्क का प्रसार, अन्य सम्मिलित हैं।

2. खराब 'इन-बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर' को ध्यान में रखते हुए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता जागृत हो रही है जो निष्क्रिय और साथ ही सक्रिय बुनियादी ढांचे के निर्माण के व्यवसाय में हो सकती हैं। इस परिस्थिति से निपटने के लिए ट्राई ने 20 फरवरी 2023 को "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की हैं। इन अनुशंसाओं का बल पानी, बिजली या अग्नि सुरक्षा प्रणाली आदि जैसी अन्य भवन सेवाओं के समान भवन विकास योजना का एक आंतरिक अंग बनने के लिए डीसीआई के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने पर है। डीसीआई को विभिन्न शहरी/स्थानीय निकायों में संपत्ति प्रबंधकों (मालिक या डेवलपर या बिल्डर इत्यादि), सेवा प्रदाताओं,

प्रदाताओं, बुनियादी फ्रेमवर्क प्रदाताओं, डीसीआई पेशेवरों और प्राधिकरणों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से भवन विकास के साथ-साथ सह-डिज़ाइन और सह-निर्मित किया जाना है। प्राधिकरण का विचार है कि यदि सक्रिय और निष्क्रिय डीसीआई को भवन विकास योजना के आंतरिक भाग के रूप में बनाया जाना है, तो इसके लिए बाजार में ऐसे खिलाड़ियों की आवश्यकता होगी जो सक्रिय और निष्क्रिय डीसीआई के निर्माण में विशेषज्ञ होंगे और ऐसा करने के लिए अधिकृत होंगे।

3. इस आलोक में यह आवश्यक है कि नए सदस्यों को सक्रिय और निष्क्रिय दोनों बुनियादी ढांचा के निर्माण के लिए अनुकूल लाइसेंसिंग तंत्र के माध्यम से प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जाए, जिस पर कोई भी डिजिटल सेवा चल सके। तटस्थ तृतीय-पक्ष संस्थाओं की उपस्थिति जो निष्क्रिय के साथ-साथ कुछ नेटवर्क परत सक्रिय बुनियादी ढांचा का निर्माण कर सकती है, साझाकरण को बढ़ाने, समग्र बुनियादी लागत को कम करने और सेवा वितरण खंड को मजबूत करने में मदद कर सकती है।

4. भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग (DoT) से एक संदर्भ पत्र दिनांक 11.08.2022 प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने एक नई श्रेणी लाइसेंस 'टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस (टीआईएल)' के निर्माण का निर्णय लिया है। ऐसे लाइसेंसधारियों को मुख्य उपकरण और स्पेक्ट्रम की होल्डिंग को छोड़कर, वायरलाइन एक्सेस, रेडियो एक्सेस और ट्रांसमिशन लिंक के लिए सभी उपकरणों को स्थापित करने, बनाए रखने और काम करने की अनुमति दी जा सकती है। दूरसंचार विभाग ने ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत लाइसेंस की इस नई श्रेणी और ऐसे लाइसेंस के नियमों और शर्तों, लागू लाइसेंस शुल्क आदि पर अनुशंसाएँ मांगी थी ।

5. तद्नुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 09 फरवरी 2023 को 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का आरंभ' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां ट्राई वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में 20 जून 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) भी आयोजित की गई थी।

6. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट, ओएचडी के दौरान हुई चर्चा और मुद्दों के आगे के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का आरंभ' पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है।

7. अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) प्राधिकरण ने लाइसेंस की एक नई श्रेणी के निर्माण की सिफारिश की है जो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों डिजिटल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा के निर्माण की अनुमति देती है। यह डीसीआईपी लाइसेंस स्टैंडअलोन लाइसेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि एकीकृत लाइसेंस के तहत एक प्राधिकरण होना चाहिए। इस लाइसेंस प्राधिकरण को 'डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (DCIP) लाइसेंस' कहा जाना चाहिए। डीसीआईपी प्राधिकरण के लिए कोई लाइसेंस शुल्क लागू नहीं होना चाहिए।

(ii) प्रस्तावित डीसीआईपी प्राधिकरण के दायरे में ऐसे सभी उपकरण, उपयंत्र, यंत्र, साधन और तंत्र का स्वामित्व, स्थापना, रखरखाव और काम करना शामिल है जो सभी वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), वाई-फाई सिस्टम, और ट्रांसमिशन लिंक की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। हालाँकि, इसमें स्पेक्ट्रम और कोर नेटवर्क तत्व जैसे स्विच, एमएससी, एचएलआर, आईएन आदि शामिल नहीं होंगे। डीसीआईपी लाइसेंस के दायरे में भारत के किसी भी हिस्से में राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, डार्क फाइबर, पोल, टॉवर, फीडर केबल, एंटीना, बेस स्टेशन, इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस), वितरित एंटीना सिस्टम (डीएएस), आदि भी शामिल हैं। डीसीआईपी प्राधिकरण के दायरे में किसी भी ग्राहक के लिए या अपने स्वयं के उपयोग के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग करके एंड-टू-एंड बैंडविड्थ का प्रावधान शामिल नहीं है। हालाँकि, डीसीआईपी को अपने स्वयं के बीबीयू (बेसबैंड यूनिट)/आरयू (रेडियो यूनिट)/एंटीना से कनेक्ट करने के लिए वायर्ड ट्रांसमिशन लिंक (लेकिन वायरलेस नहीं) स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) डीसीआईपी प्राधिकरण के लिए प्रवेश शुल्क 2 लाख रुपये और आवेदन प्रसंस्करण शुल्क 15,000 रुपये रखा जाना चाहिए। उल्लंघन के लिए जुर्माना उस स्तर पर रखा जाना चाहिए जो आईएसपी श्रेणी 'बी' प्राधिकरण के लिए निर्धारित है। डीसीआईपी पर कोई निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) नहीं लगाई जाएगी। एकीकृत लाइसेंस में एक संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीसीआईपी के डीसीआई के उपयोग के कारण परिचालन और सुरक्षा शर्तों सहित किरायेदार (सेवा का किरायेदार डीसीआईपी से डीसीआई प्राप्त करता है और उपयोग करता है) पर लागू विभिन्न लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है।

(iv) यूएल के तहत प्राधिकरण को 'लाइट टच' रखने के लिए एकीकृत लाइसेंस के भाग- । की कई शर्तों को डीसीआईपी प्राधिकरण पर लागू होने से छूट दी गई है।

(v) लाइसेंस की सुरक्षा शर्तों, क्यूओएस, इंटरकनेक्शन, गैर-भेदभाव आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, डीसीआईपी और लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं के बीच प्रिंसिपल-एजेंट संबंध का उपयोग स्व-विनियमन के लिए किया गया है, जिसके तहत डीसीआईपी डीसीआई आइटम, उपकरण, और सिस्टम इस तरह से स्थापित करने के लिए बाध्य हैं कि उनके बुनियादी ढांचे का किराया लेने वाला अपने डीसीआई आइटम, उपकरण और सिस्टम पर सवारी करते समय तकनीकी, संचालन, सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) और सुरक्षा शर्तों सहित लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा करने में सक्षम हो; लाइसेंसकर्ता या ट्राई द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अन्य निर्देशों के अधीन, डीसीआईपी यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य हैं कि वे पात्र संस्थाओं को पट्टे/किराए/बिक्री के आधार पर डीसीआई वस्तुओं, उपकरणों और प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करने से पहले उनके साथ एक औपचारिक लिखित समझौता करें। इन समझौतों में डीसीआईपी को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करने वाले खंड शामिल होने चाहिए कि उनके डीसीआई आइटम, उपकरण और सिस्टम का किराया उनके डीसीआई पर सवारी करते समय तकनीकी, परिचालन, क्यूओएस और सुरक्षा शर्तों सहित लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा करने में सक्षम है।

(vi) डीसीआईपी लाइसेंसधारियों को अपने प्राधिकरण के दायरे के अंतर्गत उनके स्वामित्व, स्थापित और संचालित सभी बुनियादी ढांचा को यूएल (डीसीआईपी को छोड़कर) के तहत अन्य लाइसेंसधारियों के साथ और आईएसपी (यूएल में नहीं) के साथ साझा करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि केवल ऐसे बुनियादी ढांचा को साझा किया जाएगा जिसे अन्य लाइसेंसधारी द्वारा अपने लाइसेंस में स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इस आशय से, इस खंड के प्रावधान यूएल के भाग- । के खंड 33 पर अधिभावी प्रभाव डालेंगे।

(vii) यह अनुशंसा की गई है कि डीसीआईपी लाइसेंसधारी टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत वैध लाइसेंस रखने वाली और अधिसूचित संस्थाओं को किसी भी इकाई (अन्य डीसीआईपी को छोड़कर) को पट्टे/ किराए/ बिक्री के आधार पर डीसीआई आइटम, उपकरण और सिस्टम प्रदान करेंगे। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा डीसीआईपी लाइसेंसधारी जिन्हें बिजली अधिनियम के अंतर्गत भी लाइसेंस प्राप्त है, उन्हें एक्सेस अधिकार के आधार पर ऐसे बुनियादी ढांचा (जो इस प्राधिकरण के दायरे के अंतर्गत अनुमति दी गई है) की प्रस्तुति करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण यह भी अनुशंसित करता है कि दूरसंचार विभाग (DoT) को IP-I पंजीकरण समझौते में एक समान खंड जोड़ना चाहिए।

(viii) यह भी अनुशंसा की गई है कि डीसीआईपी लाइसेंसधारी को ऐसे वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण (किसी भी स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट के बिना) रखने के लिए भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के तहत

लाइसेंस के लिए आवेदन करने और जारी करने के लिए पात्र होना चाहिए, जिसे डीसीआईपी के दायरे के तहत अनुमति है। प्राधिकरण. हालाँकि, डीसीआईपी प्राधिकरण धारक को किसी भी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करने और असाइनमेंट के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

(ix) प्राधिकरण ने इससे पहले 29 नवंबर, 2022 को "छोटे सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फनीचर का उपयोग" पर अपनी अनुशंसाओं के माध्यम से अनुशंसा की थी कि सभी दूरसंचार लाइसेंसों और IP-1 पंजीकरण समझौतों में सक्षम प्रावधान या उचित नियम और शर्तें प्रस्तुत की जाएं, जो टीएसपी/ IP-1 प्रदाताओं को बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के मालिकों/सीएए (नियंत्रण प्रशासनिक प्राधिकरणों) या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ किसी विशेष अनुबंध या राइट ऑफ वे (RoW) में प्रवेश करने से रोकें। प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसा दोहराई है। तदनुसार, डीसीआईपी प्राधिकरण में, यह सुझाव दिया गया है कि डीसीआईपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंधों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो कुछ पात्र संस्थाओं को उनके डीसीआई के उपयोग का अपरिहार्य अधिकार (IRU) प्रदान करते हैं, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अन्य पात्र संस्थाओं का बहिष्करण हो सकता है। । प्राधिकरण ने यह भी सुझाव दिया है कि IP-1 पंजीकरण में एक समान खंड जोड़ा जा सकता है।

8. इन अनुशंसाओं को ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर डाल दिया गया हैं।

9. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण) भादूविप्रा से दूरभाष नंबर +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।.

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा